राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2427/2007/सीकर

मैसर्स विक्रम मेडिकल स्टोर्स
सीकर — अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
सीकर — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 10.09.2015

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स)तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 75/आरएसटी/सीकर/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2001–02 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 22.02.2002 को पारित किया जाकर रू. 28,898/– की मांग सृजित की गई थी। उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 37 के अन्तर्गत प्रस्तुत संशोधन प्रार्थना पत्र के आधार पर वाणिज्यिक कर अधिकारी,सीकर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा दिनांक 24.06.2002 को संशोधित आदेश पारित कर मांग राशि रू. 23,234/– रखी गई। उक्त संशोधन आदेश के क्रम में अपीलार्थी द्वारा रू. 19,234/– जमा करा दी गई व शेष रू. 4000/–की राशि बकाया रही । राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एफ.4(4)एफडी/टैक्स–डीआईवी/99–पीटी ।।–172 दिनांक 04.02.2003 के तहत आदेश दिनांक 24.06.2002 के विरूद्ध जमा कराई गई राशि रू. 19,234/– को वापस किये जाने का अनुरोध करते हुए अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा पुनः संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2003 एवं 23.05.2003 को प्रस्तत किये गये,जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 के क्लॉज–।।। के अनुसार अपीलार्थी द्वारा टर्नओवर टैक्स के पेटे रू. 19,234/– की राशि दिनांक 31.01.2003 तक जमा करा दी गई थी,इस प्रकार अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 से पूर्व उक्त राशि जमा हो जाने के कारण उक्त अधिसूचना के तहत अपीलार्थी द्वारा जमा कराई गई राशि वापस प्राप्त करने का हकदार नहीं है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर

निर्धारण अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.06.2007 पारित किया है,जिसके विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि पूर्ववर्ती वर्ष की बिक्री के आधार पर अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 के अनुसार वर्ष 1999–2000 का वार्षिक पण्यावर्त रू. 43,00,000/– होने के कारण रू.50,000/– तक की छूट का हकदार था तथा उस पर पण्यावर्त कर का कोई दायित्व नहीं था। उनका कथन है कि अपीलार्थी ने अज्ञानतावश टर्नओवर टैक्स के पेटे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रू. 19,234/–जमा करा दिये थे। उनका कथन है कि उक्त अधिसूचना के अनुसार उस पर टर्नओवर टैक्स का दायित्व नही होने के कारण संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जिन्हें कर निर्धारण अधिकारी ने अनुचित एवं गलत आधार पर अस्वीकार कर दिये,इसलिए उसे अधिसूचना दिनांक 30.03.2000 के अनुसार जमा कराई गई राशि रू. 19,234/– उसे वापस दिलाई जाने के आदेश जारी करवाये गये। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण आदेश की पुष्टि कर उसकी अपील अस्वीकार की है। उक्त कथन के आधार पर उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

अप्रार्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करन का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2003 में संशोधन करने हेतु संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 21.03.2003 एवं 25.05.2003 को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारित टर्नओवर टैक्स अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 से पूर्व जमा करा दिया था। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्रों में अधिसूचना दिनांक 04.02.2003 के आधार पर रिफण्ड चाहा गया किन्तु संशोधन पत्र उक्त अधिसूचना की शर्तो के अनुसार नही होने के कारण संशोधन प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया है,जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा की गयी। अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों के अनुरूप होने के कारण उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य